जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 163 वीं बैठक दिनांक 26.04.2011 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री लोकनाथ सोनी ,सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमति सुची शर्मा अति. आयुक्त प्रशासन, जविप्रा जयपुर।
4. श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त, (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, अति. मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री राजेश सिंह उपायुक्त जोन–1 जविप्रा, जयपुर।
2. श्री दिनेश पंवार, उपायुक्त जोन–3 जविप्रा, जयपुर।
3. श्री राजेश कुमार चौहान, उपायुक्त जोन--4, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री अनिल कुमार जैन उपायुक्त जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री राकेश शर्मा उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री औंकार मल सैनी उपायुक्त जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमति साधना शर्मा, उप नगर नियोजक बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयुपर ।
8. श्री प्रेम शंकर शर्मा, उप नगर नियोजक (सी.पी.), जविप्रा जयपुर।
9. श्री हीरालाल वर्मा, उप नगर नियोजक (जोन–6), जविप्रा जयपुर।
10. श्री भरतमल माली, सहायक नगर नियोजक, जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री सोहन लाला वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12 जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमति अपाला मिश्रा, सहायक नगर नियोजक जोन–10 जविप्रा, जयपुर।
13. श्री राजेन्द्र भट्ट, उपरजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।
14. श्रीमति उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा संख्याः–1

163 / 26.04.2011

विषयः– टैगोर गृ.नि.स. समिति की योजना जादौन नगर बी के भू.स. 79ए के साईड सैटबेक 10 फीट को कम किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में रखा जावें एवं प्रार्थी को भी बैठक में सुनवाई हेतु बुलाया जावें।

एजेण्डा संख्याः–2

163 / 26.04.2011

विषयः– भूखण्ड संख्या 222, आफिसर्स केम्पस विस्तार का उपविभाजन करने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उपविभाजन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड के समस्त सैटबेक में अनाधिकृत निर्माण होने के कारण उपविभाजन नहीं किया जावें।

एजेण्डा संख्याः–3

163 / 26.04.2011

विषयः– श्री अनुराग अग्रवाल के भू.सं. 59, 60, 61, 68, 69, 70 निजि खातेदारी योजना रिद्वी– सिद्वी एनक्लेव , ग्राम महल तहसील सांगानेर, जयपुर के पुर्नगठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया सभी भूखण्डों का स्वामित्व श्री अनुराग अग्रवाल नाम से है। पुर्नगठन भूखण्ड का क्षेत्रफल 1706.26 व.ग. या 1422.00 व.मी. है। इसलिए निम्न शर्तो के अनुसार भूखण्डों का पुर्नगठन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से अधिक है इसलिए योजना के पुर्नगठन की अनुशंषा कर राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें।

पुर्नगठित भूखण्ड सैटबेक निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

2. सैटबेक :–

सामने सडक 80' की ओर	– 30'–00'
साइड–I भुखण्ड सं. 67 की ओर	– 15'–00'
साइड–II भूखण्ड सं. 71 की ओर	– 15'–00'
पीछे सडक 30' की ओर	– 15'–00'

अन्य मानदण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण विनिमय 2010 के अनुसार देय होगें।

एजेण्डा संख्याः–4
163 / 26.04.2011 (जोन–12)

विषयः– निजी खातेदारी की सचिवालय सरोवर आवासीय योजना ग्राम सुन्दरियावास तहसील, जयपुर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल 247 ग्रामों के शामिल होने से पूर्व ही प्रार्थी द्वारा जिलाधीश जयपुर कार्यालय में भूमि के सपरिवर्तन हेतु आवेदन किया था। जिलाधीश जयपुर द्वारा दिनांक 19.05.2009 को भूमि के सपरिवर्तन आदेश जारी किये गये थे जिसकी शर्त न. 2 के अनुसार योजना की क्रियान्विति 2 वर्ष की अवधि में की जानी थी। प्रार्थी द्वारा 2 वर्ष की अवधि में योजना अनुमोदन हेतु जिलाधीश कार्यालय में आवेदन कर दिया था। इसी अवधि में इस ग्राम की भूमि प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल हो गई इसलिए के जिलाधीश जयपुर के पत्र दिनांक 26.08.08 के अनुसार योजना अनुमोदन के संबंध नें प्राधिकरण में आवेदन करने हेतु प्रार्थी को पत्र लिखा गया। प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण में आवेदन करने पर योजना अनुमोदन के संबंध में प्रकरण को बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 156 दिनांक 16.12.2010 में विचारार्थ रखा गया जिसमें सपरिवर्तन आदेश की शर्त सं.–2 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के कारण प्राधिकरण द्वारा योजना के अनुमोदन किये के संबंध में जॉच किये जाने का निर्णय लिया गया था। निदेशक (विधि) द्वारा इस संबंध में जॉच की गई, उन्होंने राय व्यक्त की कि प्रार्थी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के दौरान जिलाधीश कार्यालय में आवेदन कर दिया था। इसलिए प्राधिकरण द्वारा योजना स्वीकृत की जा सकती है। योजना तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन योग्य है इसलिए विचार–विमर्श के पश्चात योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

अति. एजेण्डा संख्या–1
160 / 07.02.2011 (जोन–9)

विषयः–दी कृष्णा गृ.नि.स. समिति की योजना मानसागर विस्तार के योजना मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में।

1. सैक्टर प्लान में निर्धारित 80' चौडी सडक को यथावत रखें जाने से भूखण्ड संख्या219, 218, 33, 42 से 44, 142 से 145, 131 से 141 तक एवं भू.स. 220 से 224, 34, 31, 45, 145ए, 142ए, 120 से 130 आंशिक रूप से प्रभावित होते है एवं पूर्व में अनुमोदित योजना बुद्व विहार एवं चौधरी नगर द्वितीय की निर्धारित 80' चौडी सैक्टर रोड से मिलान नही होने के कारण

वर्तमान में योजना में विद्यमान 60' चौडी सडक को उक्त दोनों योजनाएं बुद्व विहार एवं चौधरी नगर द्वितीय की स्वीकृत सडक से मिलान करते हुए विद्यमान 60' सडक को दोनों ओर से 10'–10' भूमि ली जावें एवं तदअनुरूप सडक सीमा की भूमि सम्बन्धित भूखण्डों में से कम की जाकर नियमन किया जावें।

2. 80' सडक करने पर पूर्व में एवीटा होटलस प्रा.लि. को जारी लीजडीड में से सड़क सीमा की भूमि कम करते हुए संशोधित लीजडीड/साइट प्लान जोन स्तर से जारी किया जावें।

3. 90बी के अनुसार खसरा सीमा के अर्न्तगत आने वाले भूखण्डों का ही नियमन किया जावें शेष समस्त क्षेत्र को अस्वीकृत किया जावें।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त उपरोक्त शर्तो के साथ योजना अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अति. एजेण्डा संख्या–2</u>

163/26.04..2011(जोन–10)

विषयः– ग्राम खो नागोरियान तहसील सांगानेर के खसरा नं. 522 कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर में स्थित हथरोई गढी गृ.नि.स. समिति की योजना फतेह नगर, न्यू कालोनी के अनुमोदन बाबत।

योजना में 132 के.वी. विद्युत विद्यमान है। अतः लाईन के मध्य से दोनों ओर 50'–50' नो कन्सट्रक्शन एरिया में भूखण्ड संख्या 1 से 6 तक पूर्ण रूप से आने के कारण गैर अनुमोदित किया जावें एवं भूखण्ड संख्या 7, 8,व 8–ए में निर्माण योग्य क्षेत्रफल नही मिलने के कारण गैर अनुमोदित किया जावें।

शेष भूखण्ड संख्या 9 से 14 तक को अनुमोदित किया जावें।

जविप्रा के कार्यालय आदेश क्रमांक जविप्रा/प.अ./आर.ए.जी/09/डी–201 दिनांक 23.11. 2009 के परिपेक्ष्य में हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति के विरूद्व 25 प्रकरणों में शिकायत प्राप्त हुई है लेकिन इस योजना "फतेह नगर, न्यू कालोनी" के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः उपरोक्त शर्तो के साथ योजना को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

29/4/11

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2011/डी– 296

दिनांक :– 29/4/11

प्रतिलिपि :—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
8. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
12. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

29/4/11

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले—आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।